कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 21.03.2026**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.03.2026** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जमानिया पुलिस टीम द्वारा एक अदद पिकअप पर लदे हुए 03 राशि गोवंश के साथ 04 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.03.2026 को उपनिरीक्षक राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि हेतिमपुर पुलिस के रास्ते कुछ व्यक्तियों द्वारा गोवंशों को एक पिकअप में लादकर वध हेतु झारखंड ले जाया जा रहा है। यदि जल्दी किया जाए तो व्यक्तियों को गोवंशों के साथ पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस बल की टीम द्वारा एकाएक दबिश देकर रामपुर उर्फ सलेमपुर दरौली तिराहा के पास से पकड़ लिया गया। जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 79/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता /आपराधिक इतिहास –

1. मुबारक अंसारी पुत्र रफीक अंसारी निवासी पुरना मझगांवा थाना चैनपुर जनपद पलामू झारखण्ड़
(i) मु0अ0सं0 79/2026 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर

02 .दिलीप प्रसाद पुत्र सुदामा प्रसाद महतो निवासीगण कोशियारा थाना चैनपुर जनपद पलामू झारखण्ड़
(i) मु0अ0सं0 79/2026 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर

03.संतोष प्रसाद पुत्र सुदामा प्रसाद महतो निवासीगण कोशियारा थाना चैनपुर जनपद पलामू झारखण्ड़

(i) मु0अ0सं0 79/2026 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर

04 .धर्मदेव शर्मा पुत्र स्व0 रामबृक्ष शर्मा निवासी लिथकी थाना चैनपुर जिला पलामू झारखण्ड़

(i) मु0अ0सं0 79/2026 धारा 3/5A/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना जमानियाँ गाजीपुर

बरामदगी -

(i) 03 राशि गोवंश (02 गाय,01 बछड़ा)

(i) 01 अदद पिकप वाहन

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर